रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 2001/आश्विन 25, 1923
No. 527] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2001/ASVINA 25, 1923

CENTRAL GOVT. PUBLICATIONS

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 783(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रधान अधिकारी, मर्केंटाइल मेरीन विभाग, चेन्नै के स्थान पर प्रभारी सर्वेक्षक, मर्केंटाइल मेरीन विभाग, तूतीकोरिन को तूतीकोरिन पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में नियुक्त करती है और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 17 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 260(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 10 के सामने "प्रधान अधिकारी, मर्केंटाइल मेरीन विभाग, चेन्नै" शब्दों को "प्रभारी सर्वेक्षक, मर्केंटाइल मेरीन विभाग, तूतीकोरिन" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा.सं. पीटी-18011/2/2001-पीटी]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2001

G.S.R. 783(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Surveyor Incharge, Mercantile Marine Department, Tuticorin, on the Board of Trustees for Tuticorin Port Trust vice Principal Officer, Mercantile Marine Department, Chennai, and makes the following amendment in the notification G.S.R. No. 260(E) dated 17th April, 2001, of Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing).

2. In the said notification against Serial No. 10 for the words, "Principal Officer, Mercantile Marine Department, Chennai", the words "Surveyor Incharge, Mercantile Marine Department, Tuticorin", shall be substituted.

[F. No. PT-18011/2/2001-PT]
K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 784(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा क्रम सं. 12 से 15 (निम्नलिखित पैरा 2) के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को तूतीकोरिन पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में नियुक्त करती है और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 17 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 260(अ) में संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाए अर्थात् :

12. श्री माधवन नाम्बियार	—	"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13. श्री एम.ई. वासु	—	"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री वी. वैथयालिंगम	—	"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15. श्री ए. एल. सुब्रमण्यम	—	"अन्य हित" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा.सं. पीटी-18011/2/2001-पीटी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2001

G.S.R. 784 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial No. 12 to 15 (paragraph 2 below) on the Board of Trustees of Tuticorin Port Trust and makes the amendment in the notification G.S.R. No. 260 (E) dated 17th April, 2001, of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing).

2. In the said notification after serial No. 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely :—

12.	Shri Madhvan Nambiar	—	Representing "Other Interest."
13.	Shri M.E. Vasu	—	Representing "Other Interest."
14.	Shri V. Vaithyalingam	—	Representing "Other Interest."
15.	Shri A. L. Subramaniam	—	Representing "Other Interest."

[F. No. PT-18011/2/2001-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.